



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर शस्त्र अधिनियम में अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-445/2020 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रमेश प्रजापति पुत्र मलखान नि0 कुम्हरौड़ा कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी मणिकर्ण  
शुक्ल



विवेचक-  
उ0नि0 प्रह्लाद सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा  
का0 प्रदीप भार्गव